निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1345) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 236, दिनांक 30 अक्तूबर 2026—बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम सं0– 14, 2026) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवंबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियम करते है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 से धारा 4 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–22) 4169)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 236, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 4169)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

S.O. 236, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026 (Bihar Act No.- 14, 2026), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby appoints the 1st day of November, 2026 as the date on which the provisions of sections 2 to Section 4 of the said Act shall come into force..

[(FileNo Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-22) 4169)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1345-571+10-डी0टी0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in